- 39 -

(1)

राजस्थान सरकार 246
भू प्रबन्ध विभाग

क्रमांक: भूप्रआ/समु/भूकर/11/8/1/85/पार्ट III/ जयपुर, दिनांक 12-1-98

विभागीय-परिपत्र

मन्दिर मूर्ति खातेदारी

विषय:- मंदिर मूर्ति की भूमियों की खातेदारी अन्य के नाम हो गई उनकी दुरुस्ती बाबत।

—

उपरोक्त विषय में भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बार-बार मार्गदर्शन चाहा जा रहा है तथा यह भी ध्यान में आया है कि भिन्न-भिन्न कार्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अलग से लिखा जा रहा है कि मंदिर मूर्ति की भूमियों की दुरुस्ती के कार्य से भू प्रबन्ध विभाग को मुक्त रखा जावे।

अतः जब तक राज्य सरकार से कोई अन्य निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं तब तक सर्वे-भू अभिलेख लेखन अधीन क्षेत्रों में राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 28.7.81 एवं 13.12.91 (छायाप्रति संलग्न है) की पालना में निम्न प्रकार कार्यवाही करें:-

1. सम्वत् 2012 की जमाबंदी में दिनांक 15.10.55 को जो भूमियाँ मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज हैं तथा वर्तमान में पुजारी से भिन्न किसी व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज पाई जाती है तो रेफरेन्स कार्यवाही हेतु आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित सम्बन्धित जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजकर इस कार्यालय को सूचित करें। जब तक रेफरेन्स का निर्णय न होकर आवे तब तक जमाबंदी का इन्द्राज यथावत दोहराया जावेगा।
2. यदि मंदिर की भूमि पर वर्तमान खातेदार सम्बन्धित मंदिर का पुजारी है तो सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी उसे नोटिस देकर सुनवाई के बाद बदर दुरुस्ती के समान भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश देकर खाता दुरुस्त कराएंगे और मंदिर के अलावा किसी भी प्रकार का नाम यथा पुजारी, व्यवस्थापक, शिकमी काश्तकार आदि अभिलेख में नहीं रहेगा तथा उसकी सूचना जिला कलेक्टर व इस कार्यालय को सम्बन्धित अभिलेख एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित भेजेंगे।
3. यदि अंतिम राजस्व जमाबंदी में मंदिर मूर्ति के खाते में जो भी है किन्तु पुजारी का नाम भी साथ में दर्ज हो तो उसे नये अभिलेख में

---- 2

शामिल नहीं किया जाना है अर्थात मात्र मंदिर का नाम ही खाते में दर्ज करना है। मंदिर के अलावा अन्य किसी प्रकार का नाम पुजारी, व्यवस्थापक, शिकमी काश्तकार अथवा उप कृषक आदि किसी भी प्रकार का नाम खाते में दर्ज नहीं किया जाना है।

4. मंदिर मूर्ति की जिन भूमियोंपर सम्वत् 2012 की जमाबंदी में दिनांक 15.10.55 को अन्य व्यक्ति कृषक दर्ज हैं उन भूमियों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है जमाबंदी का इन्द्राज ही दोहराया जावेगा।

5. कृपया सम्वत् 2012 की जमाबंदियाँ प्राप्त कर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

9-1-98

भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-भूप्रआ/समु/भूकर/11/247-60 जयपुर, दिनांक: 12-1-98

प्रतिलिपि:- भू प्रबन्ध अधिकारी, को भेजकर निर्देशानुसार निवेदन है कि परिपत्र की एक-एक प्रति सम्पूर्ण स्टाफ को उपलब्ध कराकर पालना सुनिश्चित करें।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी,
मुख्य कार्यालय, जयपुर।